भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1551

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

21 माघ, 1942 (शक)

फेसबुक पर घृणा फैलाने वाला भाषण

1551. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की फेसबुक, एक विदेशी कंपनी की भूमिका की जांच करने की मंशा है, जो अपने प्लेटफार्म पर घृणा फैलाने वाले भाषण की विषय-वस्तु को नियिमत करने के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया दर्शा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारतीय चुनावों और लोकतंत्र पर फेसबुक की विषय-वस्तु विनियमन नीतियों की विवक्षाओं का आकलन किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(ड.)** : सरकार ने "फेसबुक की विद्वेषपूर्ण-भाषण नियमावली से भारतीय राजनीति में हितों की टकराहट होती है, जिसके द्वारा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है "नामक वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने फेसबुक के सीईओ को प्लेटफॉर्म के तथाकथित पक्षपात के विषय में तथा फेसबुक की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने फेसबुक के साथ मामले को पहले से ही उठाया है।

****